

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड:नई दिल्ली
(कार्मिक प्रभाग)

मार्च, 3 2017

परिपत्र संख्या. औ.सं./09/2017


संदर्भ: परिपत्र संख्या. औ.सं./37/2012 दिनांक 27.12.2012

विषय: कर्मचारियों द्वारा ओपीडी चिकित्सा दावे प्रस्तुत करने के संबंध में

कर्मचारियों द्वारा ओपीडी चिकित्सा दावे प्रस्तुत करने के संबंध में परिपत्र संख्या औ.सं./37/2012 दिनांक 27.12.2012 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

- i. वित्तीय वर्ष से संबंधित ओपीडी प्रतिपूर्ति दावे कर्मचारियों द्वारा उसी वित्त वर्ष के दौरान वित्त प्रभाग को प्रस्तुत करने को आगामी वित्तीय वर्ष में अंततः 10 अप्रैल तक प्रस्तुत करना अनुमेय किया गया है। संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए ₹40,000/- प्रति वर्ष ओपीडी की सीमा के अन्तर्गत दावे बिलों/रसीदों की तिथि के आधार पर निपटाए जाएँ।
- ii. वित्त तथा लेखा प्रभाग द्वारा 10 अप्रैल के पश्चात विगत वित्तीय वर्ष के कोई ओपीडी प्रतिपूर्ति दावे स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।


(कपिल रोहतगी)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष/शाखा प्रबंधक
- उप महाप्रबंधक (ले. एवं स्था.)
- वेबसाइट/नोटिस बोर्ड

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI
(PERSONNEL DIVISION)

March 3rd, 2017

Circular No: IR/09/2017


Ref: Circular No: IR/37/2012 dated 27.12.2012

Subject: Submission of OPD Medical claims by employees – Reg

In partial modification of Circular No. IR/37/2012 dated 27.12.2012 regarding submission of OPD medical claims by employees, it has been decided as under:

- i. OPD reimbursement claims pertaining to a financial year to be preferred by an employee to the Finance Division during the same Financial Year and allowed to submit latest by 10th of April of the succeeding Financial Year. The claims to be settled within the OPD ceiling of Rs 40,000/- per year for respective Financial Year, on the basis of date of bills/receipts.
- ii. No claims shall be entertained by F&A Division after 10th April in respect of OPD reimbursement claims of previous financial year.

This issues with the approval of the Competent Authority.


(Kapil Rohatgi)
DGM (Personnel)

- Exe. Secy to CMD
- Exe. Secy to Director/CVO
- All CGMs
- All Divisional Heads/All Branches
- DGM(F&A)
- Website/Notice Board